

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान


सावित्री पुत्री नानक पत्नी बनाम 1. गुडडी पुत्री नानक पत्नी नल्लुराम  
 मनीराम भारि मेघवाल 2. डिहाबो पुत्री नानक पत्नी नल्लुराम  
 दावा बाबत :- 185/18, 88RTA-4 3. भुरी पुत्री नानक पत्नी मंगलुराम  
 मुकदमा नम्बर :- 185/18 4. रामलाल मरहात धर्मि रक्षीतपुत्र  
 माप्य  
 निर्णय दिनांक :- 01-12-21

वादी की ओर से वकील मुन्दीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० X की ओर से वकील X की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के सम्मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

~~राही मौजा इताना के खाल म० प० 36/400 के खाल म० प० 143 की 3.405 हे०, 178 की 0.523 हे०, 186 की 0.810 हे०, 202 की 5.224 हे०, 203 की 1.012 हे० इत 10.778 हे० धारणी खाले दारी में गुलरी पत्नी नानक के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में गुलरी पत्नी नानक का नाम इतमपन किया जाकर इत 1/3 हिस्सा में वादी सावित्री पुत्री नानक पत्नी मनीराम मेघवाल व प्रतिवादी गुडडी पुत्री नानक पत्नी नल्लुराम मेघवाल निवासी गण इताना हाल निवासी बहरीयावाली मिला सिता व डिहाबो पुत्री नानक पत्नी नल्लुराम मेघवाल साकिन इताना हाल रौतपुर रवेडा मिला सिता एवं भुरी पुत्री नानक पत्नी मंगलुराम मेघवाल मिन० इताना हाल भुरन मिला फरे हवार डो बहिम्मा बाराब के अनुसार खाले दार मरहात घोखिह क्रिये जाई व रदन होने पर मुम्ह होने के बाद हमी अनुसार तपल्य रिमाडे में दर्ज इत रिमाडे इकर क्रिये जावे।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 01.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (शकुंतला चौधरी)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 साक्षर जिला हनुमानगढ़  
 R.A.S.  
 2021